रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2000/फाल्गुन 3, 1921
No. 27] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2000/PHALGUNA 3, 1921

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2000

सं. ए-45012 (2)/98-प्रशा.-III (वि.का.).—जबकि "शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा" में यह वचन दिया गया है कि भारत के संविधान के पिछले 50 वर्षों के कार्यकरण के आलोक में उसकी समीक्षा करने और उसमें संभावित परिवर्तनों के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा और इस वचन की पुष्टि राष्ट्रपति के अभिभाषण और उस पर संसद के दोनों सदनों में पारित धन्यवाद प्रस्ताव में भी की गई थी ;

अतः अब उक्त वचन को पूरा करने के लिए "संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग" का गठन करने का संकल्प किया जाता है।

1. इस आयोग का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा जो संवैधानिक मामलों तथा देश की लोकतांत्रिक संस्थानों की कार्यप्रणाली का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला अनुभव संपन्न लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति होगा। अध्यक्ष के अतिरिक्त, आयोग के 10 से अनधिक सदस्य होंगे जिनका चयन संवैधानिक विधि, अर्थशास्त्र, राजनीति, विधि, समाजविज्ञान, राजनीतिविज्ञान और अन्य संबंधित विषयों में उनकी सिद्ध विशेषज्ञता के आधार पर किया जाएगा।

2. **विचारार्थ विषय**-यह आयोग पिछले 50 वर्षों के अनुभव के परिप्रेक्ष्य में यह जांच करेगा कि संविधान संसदीय लोकतंत्र के ढांचे के भीतर आधुनिक भारत के सामाजिक-आर्थिक

विकास और शासन के सुचारू और कारगर संचालन की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप कहां तक सक्षम है और यह आयोग इसके लिए संविधान के मौलिक ढांचे में हस्तक्षेप किए बिना उसके प्रावधानों में अपेक्षित परिवर्तनों का सुझाव भी देगा।

3. आयोग के अध्यक्ष को 30,000 रु0 प्रतिमाह का समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। यदि वे सरकारी पेंशनर हैं, तो उनकी पेंशन की राशि को मानदेय में से घटा दिया जाएगा। अध्यक्ष निवास के लिए 30,000 रु0 प्रतिमाह का वेतन प्राप्त करने वाले लोकसेवक को देय टाइप का सरकारी आवास प्राप्त करने के हकदार होंगे।

4. सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्त कर सकेगी जिसे 25,000रु0 प्रतिमाह का समेकित वेतन प्रदान किया जाएगा। यदि वे सरकारी पेंशनर हों, तो उनकी पेंशन की राशि उनके वेतन में से घटा दी जाएगी। सचिव निवास के लिए 25,000रु0 प्रतिमाह का वेतन प्राप्त करने वाले लोकसेवक को देय टाइप का सरकारी आवास प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि आयोग का सचिव सेवारत लोकसेवक हुआ, तो वह अपना विद्यमान वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा और निवास के लिए उसी टाइप का सरकारी आवास प्राप्त करने का हकदार होगा जोकि उसके विद्यमान पद के लिए अनुज्ञेय है।

5. आयोग के सदस्यों को केवल ड्यूटी के दौरान 1000रु0 का दैनिक भत्ता प्रदान किया जाएगा।

6. आयोग के अध्यक्ष यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए अपने नियंत्रण अधिकारी स्वयं होंगे। सदस्यों और सचिव के संबंध में यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए नियंत्रक अधिकारी अध्यक्ष ही होंगे। अध्यक्ष और सदस्यों को उच्चतम ग्रेड के सरकारी सेवकों के लिए लागू नियमों और दरों के अनुसार यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा। आयोग का सचिव 25,000रु0 प्रतिमाह वेतन प्राप्त करने वाले लोकसेवक के लिए लागू दरों पर यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा और यदि वह सेवारत लोकसेवक हुआ तो वह अपने विद्यमान पद की हकदारी के अनुसार यात्रा भत्ता प्राप्त करेगा।

7. आयोग अपनी क्रियाविधि स्वयं निर्धारित करेगा और उन सब व्यक्तियों की सुनवाई करेगा तथा उन अभ्यावेदनों और पत्रादि पर विचार करेगा जो कि आयोग की राय में उसके कामकाज और अंतिम सिफारिश में मदद देते हों।

8. आयोग अपना कार्य पूरा करके एक वर्ष के भीतर अपनी सिफारिशें देगा।

9. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

10. आयोग के लिए अनुसंधान और अन्य कर्मचारी विधि कार्य विभाग के एक भाग के रूप में अलग से प्रदान किए जायेंगे। तथापि, आयोग के अनुसंधान और अन्य कर्मचारियों का पर्यवेक्षी नियंत्रण आयोग के सचिव में निहित होगा जो अध्यक्ष के समग्र नियंत्रणाधीन अपने कार्यों का निर्वहन करेगा।

11. आयोग का वित्तपोषण सरकार द्वारा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के संगत बजट शीर्षों के अधीन एक पृथक बजट आबंटन द्वारा होगा।

आर. एल. मीना, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd February, 2000

No. A-45012(2)/98-Admn.-III(LA).—Whereas the National Agenda for Governance contains a pledge that a Commission shall be appointed to review the Constitution of India in the light of more than 50 years of its working and to make suitable recommendations for any possible changes and this pledge was affirmed in the President's Address followed by a Motion of Thanks from both Houses of Parliament ;

NOW, THEREFORE, in fulfillment of that pledge, it is resolved to constitute the "National Commission to Review the Working of the Constitution".

1. The Commission shall consist of a whole-time Chairperson who shall be a person of distinction with knowledge and expertise of constitutional issues and in the working of the democratic institutions of the Nation. In addition to the Chairman, the Commission shall have not more than ten other Members who shall be selected on the basis of their proven expertise and knowledge in the field of Constitutional law, economics, politics, law, sociology, political science and other relevant subjects.

2. The Terms of Reference- The Commission shall examine, in the light of the experience of the past 50 years, as to how best the Constitution can respond to the changing needs of efficient, smooth and effective system of governance and socio-economic development of modern India within the framework of Parliamentary democracy and to recommend changes, if any, that are required in the provisions of the Constitution without interfering with its basic structure or features.

3. The Chairperson shall be paid a consolidated honorarium of Rs.30,000/- per month . His or her pension, if any, shall be deductible from the honorarium, in case he or she is a Government pensioner. The Chairperson shall be entitled to Government accommodation for residence of the type permissible to a public servant drawing pay of Rs.30,000/- per month.

4. The Government may appoint a Secretary to the Commission who shall be paid a consolidated pay of Rs.25,000/- per month. His or her pension, if any, shall be deductible from the pay, in case he or she is a Government pensioner. The Secretary shall be entitled to Government accommodation for residence of the type permissible to a public servant drawing a pay of Rs.25,000/- per month and if the Secretary is a serving

public servant, he or she will draw his existing pay and allowances and will be entitled to a Government accommodation for residence as per his or her entitlement as such public servant.

5. Members of the Commission shall be paid only a daily allowance of Rs.1000/- while on duty.

6. The Chairperson of the Commission shall be his own controlling officer for the purpose of traveling allowance. The Chairperson shall also be the controlling officer for the purpose of travelling allowance in respect of Members and Secretary. The Chairperson and Members shall be allowed travelling allowance at the rates and as per rules applicable to the government servants of the highest grade. Secretary to the Commission shall be entitled to travelling allowance at the rates applicable to the public servant drawing a pay of Rs.25,000/- per month and if he or she is a serving public servant, he will draw travelling allowance as per his entitlement as such public servant.

7. The Commission shall decide its own procedure and hear and entertain all persons, representations and communications which in the opinion of the Commission shall facilitate its work and final recommendation.

8. The Commission shall complete its work and make its recommendations within one year.

9. The Headquarters of the Commission shall be in New Delhi.

10. The research and other staff for the Commission shall be provided separately as part of the Department of Legal Affairs. Supervisory control over the research and other staff of the Commission, shall, however, vest in the Secretary of the Commission who will discharge his functions under the overall control of the Chairman.

11. The funding of the Commission shall be through separate budgetary allocation by the Government under the relevant budget heads of the Ministry of Law, Justice & Company Affairs (Department of Legal Affairs).

R. L. MEENA, Secy.